



संदर्भ सं. राबैं.डीओआर(शुगर सेल) / 3139 / ए-75 -18-एसएल 18-19/ 2018-19
परिपत्र सं. 66 / डीओआर- 19 / 2019
15 मार्च 2019

अध्यक्ष

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक/ सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सभी राज्य सहकारी बैंक /सभी शहरी सहकारी बैंक

महोदय

चालू चीनी मौसम 2018-19 के लिए किसानों को गन्ने के भुगतान हेतु चीनी मिलों को सुलभ ऋण योजना

कृपया शीर्षोक्त विषय पर दिनांक 6 मार्च 2019 के हमारे परिपत्र सं. 46-48/ डीओआर 11-13/ 2019, दिनांक 07.03.2019 के परिपत्र सं. 53/ डीओआर -14/ 2019 और दिनांक 12.03.2019 के परिपत्र सं. 57-60/ डीओआर-15-18/ 2019 का संदर्भ लें जिसके माध्यम से चीनी मिलों को सुलभ ऋण देने के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश सूचित किए गए थे.

इस संबंध में, परिचालन दिशानिर्देशों के पैरा 2 के संदर्भ में हम स्पष्ट करते हैं कि सुलभ ऋण की मिल-वार मात्रा निर्धारित करने के लिए चीनी मौसम 2017-18 में सफ़ेद चीनी के उत्पादन के मूल्य का 10.55% के हिसाब से गणना की जाएगी न कि उत्पादन के मूल्य 85 प्रतिशत का 10.55%.

इसके अलावा, परिचालन दिशानिर्देशों के पैरा 3 को निम्नानुसार बदला जा रहा है:

“बैंक केवल उन चीनी मिलों के आवेदनों पर विचार करेंगे जिन्होंने 26 मार्च 2019 तक चालू चीनी मौसम 2018-19 के लिए गन्ने के मूल्य का न्यूनतम 25% भुगतान किया है, जो 28.02.2019 को लागू एफ़आरपी पर आकलित है”.

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि उक्त संशोधन को नियंत्रक कार्यालयों / शाखाओं में परिचालित करने की व्यवस्था करें.

Please refer to our Circular No.46-48 /DoR 11-13 /2019 dated 06.03.2019, Circular No.53/DoR-14/2019 dated 07.03.2019 and Circular No.57-60/DoR-15-18/2019 dated 12.03.2019 on the captioned subject communicating the operational guidelines for extending Soft Loan to sugar mills.


In this connection, with reference to Para 2 of the operational guidelines we clarify that the mill-wise quantum of soft loan shall be determined by taking into account 10.55% of the value of reported production of white sugar in the sugar season 2017-18 and not 10.55% of 85% of the value of reported production.

Further, Para 3 of the operational guidelines may be replaced as under:

“The bank will consider loan application of only those sugar mills which have cleared **latest by 26.03.2019** at least 25% of the cane price payable computed on FRP basis **as on 28.02.2019** for current sugar season 2018-19.”

We request you to please arrange to circulate the above modifications among Controlling Offices / Branches.

भवदीय


(जी. आर. चिंताला)

मुख्य महाप्रबंधक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 • टेलि. : 022 2652 4926 • फैक्स : 022 2653 0090 • ई-मेल : dor@nabard.org

Department Of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel. : 022 2652 4926 • Fax : 022 2653 0090 • E-mail : dor@nabard.org